

5875/21



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP69441276991263T
 Certificate Issued Date : 18-Sep-2021 11:24 AM
 Account Reference : SHCIL (FI)/ upshcil01/ VARANASI/ UP-VNS
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUPSHCIL0127330457342006T
 Purchased by : SJRS INFRACITY PVT LTD THROUGH DIRECTOR
 Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
 Property Description : ARAZI NO.1571,MAUZA-BIRBHANPUR,PARGANA-KASWAR RAJA,TEHSIL-RAJATALAB,DISTT.-VARANASI
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : TEJ BAHADUR AND OTHERS
 Second Party : SJRS INFRACITY PVT LTD THROUGH DIRECTOR
 Stamp Duty Paid By : SJRS INFRACITY PVT LTD THROUGH DIRECTOR
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 24,87,000
 (Twenty Four Lakh Eighty Seven Thousand only)

15/9/2021

Handwritten notes and signatures in the bottom right area.



Please write or type below this line

सुभाष चंद्र बोस 111 ल ज्ञानय सुभार सिंह संजय सिंह जयप्रकाश सिंह



उषा सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Dr. Nishant

0004650707

VOID VOID

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilstamp.com' or using 'e-Stamp Mobile App' of Stock Holding Corporation of India Limited. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

An agreement



202101035007781

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)/ (आवासीय(अकृषक)) भूखण्ड/भवन
कार्यालय का नाम : उप निबंधक -गंगापुर

डेवलपट्ट सश्रीमेण्ट

तेज बहादुर पुत्र स्व. कतवारु सिंह (पैन-GOQPS6141C, मोबाइल नं. 9140799795) व श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व. श्याम बहादुर सिंह (पैन-FXLPS1956N, मोबाइल नं. 9651051962) व जय प्रकाश (पैन-FTTPS7717B, मोबाइल नं. 9651973716) व अजय (पैन-JCRPS9186M, मोबाइल नं. 7652028950) व संजय (पैन-FNMPS2626N, मोबाइल नं. 8318503725) पुत्रगण स्व. श्याम बहादुर सिंह सभी निवासीगण मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी

..... प्रथम पक्ष/भूस्वामीगण

तेज बहादुर सिंह
उषा सिंह

जय प्रकाश सिंह
अजय कुमार सिंह

संजय सिंह

S.JRS INFRACITY PVT. LTR.

Omey Mueenani

DIRECTOR

(3)



व

एस.जे.आर.एस. इन्फ्रासिटी प्रा. लि., (पैन-ABGCS4413D, मोबाइल नं. 6394060040) पंजीकृत कार्यालय मकान नं. डी. 58/12 ए-12, मोहल्ला-सिंगरा, वाराणसी, उ. प्र.-221010 बजरिये निदेशक दिनेश सेवारमानी पुत्र श्री केशव दास सेवारमानी निवासी भवन सं. डी. 54/158 के-1, सन्त नगर, लक्सा, जिला-वाराणसी, उ. प्र.

..... द्वितीय पक्ष/बिल्डर्स/डेवलपर्स

विदित हो कि जायदाद हस्ब तफसील जैल अब्बलन मिल्कियत तेज बहादुर व श्याम बहादुर की पैतृक थी। अर्सा हुआ श्याम बहादुर का स्वर्गवास हो गया जिनके मृत्योपरान्त उनके विधिक वारिसान उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उषा देवी व उनके तीन पुत्रगण अजय, संजय व जयप्रकाश उनके द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के विधिक उत्तराधिकारीगण हुए। इस प्रकार प्रथम पक्ष जायदाद हस्ब तफसील व चौहद्दी जैल के मालिकान काबिज दखील चले आ रहे हैं तथा उनका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित चला आ रहा है, जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा कोई अन्य व्यक्ति शरीक, सहीम व हिस्सेदार नहीं है। जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक-साफ है, किसी के हक में सद्दा, रेहन आदि नहीं किया है न तो किसी अदालती कार्यवाही में कुर्क या नीलामी हुआ है और न तो कोई अदालती कार्यवाही जायदाद मजकूर के वनिस्बत जेरे तजबीज है।

तेज बहादुर सिंह

उषा सिंह

जयप्रकाश सिंह

अजय कुमार सिंह

संजय सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Diya Seemanti

DIRECTOR

जायदाद मजकूर से प्रथम पक्ष को कोई विशेष लाभ नहीं है, लेहाजा प्रथम पक्ष ने आपस में राय-मशविरा करके यह तय किया कि उसपर बहुमंजिली इमारत का निर्माण कराया जाय और उसको विक्रय करके प्राप्त धनराशि से लाभान्वित हुआ जाय, परन्तु पर्याप्त धन न रहने के कारण व निर्माण सम्बन्धी जानकारी के अभाव में प्रथम पक्ष ने निर्णय लिया कि किसी बिल्डर्स/डेवलपर्स से मिलकर उपरोक्त निर्माण कराया जाय। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त कार्य के लिए द्वितीय पक्ष से सम्पर्क किया। द्वितीय पक्ष एक ख्यातिप्राप्त बिल्डर्स/डेवलपर है और उसका कार्य जमीन जायदाद को क्रय करके अथवा उसको बिल्डर एग्रीमेन्ट पर ले करके उसपर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करना और उसको विक्रय करना है। द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की भूमि पर निर्माण करने के लिए रजामन्द है। पक्षगण के बीच में निर्माण सम्बन्धी सभी शर्तें तय हो गयी हैं जिसे लिपिबद्ध किया जाना जरूरी है। अस्तु उभय पक्ष अपने-अपने स्वस्थ चित्त व शरीर से तथा स्थिर बुद्धि एवं प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी दाब नाजायज के यह डेवलपर एग्रीमेन्ट तहरीर कर इकरार करते हैं और पाबन्द शरायत जैल के होते हैं:-

- (1) यह कि प्रथम पक्ष जायदाद मजकूर जिसका विस्तृत विवरण वसीका हाजा के अन्त में अनुसूची-प्रथम में दिया गया है, के मालिक हैं और जायदाद मजकूर हर प्रकार के वारदेन से पाक-साफ है और प्रथम पक्ष द्वारा उक्त विश्वास दिलाने पर द्वितीय पक्ष जायदाद मजकूर पर निर्माण करने के लिए अग्रसर हुआ है।

देवेंद्र कुमार सिंह

अजय कुमार सिंह

उषा सिंह

संजय सिंह

अपप्रकाश सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.


Dinesh Kumar
DIRECTOR

- (2) यह कि जायदाद मजकूर में स्वामित्व सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद परिलक्षित होता है या किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है तो उसे समाप्त कराने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की है और भविष्य में होगी।
- (3) यह कि जायदाद मजकूर में किसी प्रकार की कोई माँग किसी शासकीय अथवा अर्द्ध-शासकीय विभाग का देय नहीं है और न तो किसी महाजन अथवा बैंक अथवा कम्पनी आदि से उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऋण लिया गया है। इसके विपरीत यदि कोई तथ्य पाया जाता है तो उसकी देनदारी प्रथम पक्ष की है और होगी।
- (4) यह कि द्वितीय पक्ष अपने पैसे से मानचित्र वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी से स्वीकृत करायेगा। उक्त खर्च से प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा परन्तु प्रथम पक्ष जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ द्वितीय पक्ष का सहयोग करेगा, हस्ताक्षर करेगा और मानचित्र से सम्बन्धित शपथ-पत्र और प्रार्थना-पत्र पर अपने हस्ताक्षर देंगे।
- (5) यह कि द्वितीय पक्ष जायदाद हस्त तफसील जैल पर बहुमंजिली इमारत का निर्माण करायेगा और उक्त निर्माण में जो भी धन व्यय

वैजयप्रकाश सिंह



उषा सिंह



अजयप्रकाश सिंह अजय कुमार सिंह



साजम सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Dev Shamani
DIRECTOR



होगी उसे लगाने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी, उससे प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।

- (6) यह कि सम्पूर्ण निर्माण का 40 फ्लैट (2 बी.एच.के.) जो टावर-ए व टावर-बी में प्रत्येक तल पर दो-दो फ्लैट प्राप्त करेंगे एवं 8वाँ व नवाँ तल पर तीन-तीन फ्लैट प्राप्त करेंगे, निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि, जिसका विवरण अनुसूची-द्वितीय में दिया गया है, वह जमीन के बदले में प्रथम पक्ष को प्राप्त होगी, जिसमें से 20 फ्लैट के स्वामी तेजबहादुर पुत्र स्व. कतवारू एवं शेष 20 फ्लैट के स्वामीगण श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व. श्याम बहादुर व अजय, संजय व जयप्रकाश पुत्रगण स्व. श्याम बहादुर होंगे। उससे द्वितीय पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा। इस विलेख के जरिये प्रथम पक्ष को सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त हो रहा है और द्वितीय पक्ष द्वारा भी प्रथम पक्ष को इस विलेख के जरिये अधिकृत किया जा रहा है कि प्रथम पक्ष अपने हस्ताक्षर से उक्त फ्लैट मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने मनमुताबिक किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को विक्रय कर सकेंगे, मूल्य प्राप्त करेंगे अथवा उसे रेहन अथवा बन्धक रखेंगे, उसका प्रतिफल प्राप्त करेंगे, उससे द्वितीय पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।

तेजबहादुर सिंह

उषा सिंह

जयप्रकाश सिंह

अजय पुत्रगण सिंह संजय सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Devi Hemnani

DIRECTOR

- (7) यह कि उसी प्रकार द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण निर्माण में अपने लगे हुए खर्चों के एवज में सम्पूर्ण निर्मित अंश का 40 फ्लैट को छोड़कर निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि का मालिक होगा और द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपने अंश, जिसका विवरण अनुसूची-तृतीय में दिया गया है, मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने मनमुताबिक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में अनुबन्ध तहरीर करे, एलाटमेण्ट लेटर जारी करे अथवा इच्छुक क्रेतागण के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करे अथवा रेहन, बंधक करे। उससे प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा उक्त विक्रय विलेख का सम्पूर्ण प्रतिफल द्वितीय पक्ष प्राप्त करेगा। इस विलेख के जरिये प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को मुख्ताराम नियुक्त करके अधिकार देते हैं कि द्वितीय पक्ष अकेले अपने हस्ताक्षर से अपने अंश आनुपातिक अंश का निर्माण मय आनुपातिक अंश भूमि को अपने मनमुताबिक क्रेतागण को विक्रय करे, उसकी बाध्यता प्रथम पक्ष पर भी होगी, उसके सम्बन्ध में प्रथम पक्ष कभी भी कोई एतराज नहीं करेगा।
- (8) यह कि द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण इमारत में एक समान रूप से समान गुणवत्ता व मानक के अनुसार सामान लगायेंगे और वह सभी

वेजवहासिंह

उषा सिंह

जयप्रकाशसिंह

मन्मथ कुमारसिंह

संजयसिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.


Deep Narayan

DIRECTOR

सामान की क्वालिटी जो बिल्डर्स के अंश में लगाया जायेगा वही सामान प्रथम पक्ष के अंश में भी लगाया जायेगा।

- (9) यह कि द्वितीय पक्ष मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् उक्त दिनांक से तीन साल के अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा कर लेगा और यदि उक्त अवधिक अन्दर सम्पूर्ण निर्माण पूरा नहीं हो जाता तो प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को 6 (छः) माह का अतिरिक्त समय देगा परन्तु यदि किसी नोटिस या मुकदमा या नोटिफिकेशन सरकारी या अर्द्ध-सरकारी नोटिस के व्यवधान के कारण अथवा किसी दैवी आपदा के कारण अथवा भूकम्प, बाढ़, राशनिंग आदि के कारण अथवा कर्फ्यू आदि के कारण कार्य में रुकावट आता है तो उक्त रुकावट की अवधि का समय अतिरिक्त समय के रूप में द्वितीय पक्ष को प्राप्त होगा परन्तु उसके बाद भी यदि द्वितीय पक्ष कार्य को पूरा नहीं कर पाता है या कार्य को करने में विलम्ब करता है तो वह 5,000/- रुपया प्रतिमाह हर्जाने के रूप में प्रथम पक्ष को देने के लिए जिम्मेदार होगा।
- (10) यह कि यदि कार्य के दौरान स्वामित्व सम्बन्धी दोष के कारण किसी प्रकार कार्य में रुकावट उत्पन्न किया जाता है तो उसे सुलझाने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी परन्तु यदि प्रथम पक्ष उसे नहीं सुलझा पाता या उसमें धन की आवश्यकता पड़ती है और

तेज बहादुर सिंह




उषा सिंह



जायपकाश सिंह



अजय कुमार सिंह संजय सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.


Devi DIRECTOR



वह प्रथम पक्ष नहीं दे पाता है तो उक्त धन की व्यवस्था द्वितीय पक्ष करेगा और वह धन प्रथम पक्ष की तरफ से द्वितीय पक्ष खर्च करेगा और उक्त धन का भुगतान करने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी और यदि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को उसके किये गये खर्च को नहीं देता है तो द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के अंश के फ्लैट से उक्त रुपया वसूल कर सकेगा।

- (11) यह कि स्वीकृत मानचित्र के अतिरिक्त पक्षगण के लाभान्वित होने के उद्देश्य से यदि अतिरिक्त निर्माण द्वितीय पक्ष द्वारा किया जाता है और यदि उक्त उद्देश्य के लिए परचेजेबुल एफ. ए. आर. क्रय किया जाता है तो उस सूरत में क्रय मूल्य व समन शुल्क जो भी वी. डी. ए./जिला पंचायत द्वारा आरोपित किया जायेगा उसकी देनदारी द्वितीय पक्ष की होगी एवं सम्पूर्ण निर्माण द्वितीय पक्ष करायेगा तथा सम्पूर्ण मालिकाना हक द्वितीय पक्ष के पास रहेगा, उसको विक्रय करने का अधिकार द्वितीय पक्ष के पास होगा जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रथम पक्ष अपने 40 फ्लैट के अतिरिक्त सम्पूर्ण निर्माण में किसी प्रकार से अन्य फ्लैट की हिस्सेदारी का अधिकार नहीं रखेगा एवं न ही भविष्य में इसके बाबत कोई क्लेम करेगा।

जयप्रकाशसिंह



अजय कुमार सिंह



संजय सिंह



अजय कुमार सिंह



संजय सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.


Dny Manan

DIRECTOR



- (12) यह कि द्वितीय पक्ष प्रचार व प्रसार के लिए भूमि पर अपना साइनबोर्ड कायम करेगा उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथम पक्ष को नहीं होगा।
- (13) यह कि प्रथम पक्ष ने आज द्वितीय पक्ष को जमीन मजकूर पर कब्जा दखल करा दिया और द्वितीय पक्ष बहैसियत बिल्डर/डेवलपर जमीन पर काबिज होकर निर्माण कार्य करे, उसमें अवरोध उत्पन्न करने का अधिकार प्रथम पक्ष को न होगा।
- (14) यह कि निर्माण कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है उसकी जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। प्रथम पक्ष से कोई मतलब सरोकार नहीं होगा।
- (15) यह कि निर्माण पूर्ण होने पर प्रथम पक्ष/भू-स्वामीगण निर्मित क्षेत्र के 40 फ्लैट व द्वितीय पक्ष/ विकासकर्ता के अपने-अपने अंश पर जो भी कर, भवन कर, जलकर, सीवरकर, इत्यादि देय होगा उसे उक्त अनुपात के अनुसार प्रत्येक पक्ष अदा करने का उत्तरदायी है व होगा। प्रस्तावित अपार्टमेण्ट में स्थित फ्लैट के विक्रय के बाद फ्लैट के क्रेतागण द्वारा एक सोसाइटी का गठन किया जायेगा तथा सोसायटी के नियम के तहत कामन सुविधाओं के रख-रखाव का

राजवदर सिंह



राजपुत्राराशे



उजा सिंह



संजय सिंह



जय प्रकाश सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Deep Sharma

DIRECTOR



खर्च सोसाइटी द्वारा वहन किया जायेगा व सोसाइटी के नियम व शर्तों का अनुपालन करने के लिए प्लैट के क्रेतागण बाध्य होंगे।

- (16) यह कि द्वितीय पक्ष योजना के अनुरूप समस्त निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुसार व नियमों के अनुरूप व मानक के अनुसार सामानों का इस्तेमाल करते हुए करेगा।
- (17) यह कि इस अनुबन्ध से पक्षगण के बीच कोई साझेदारी नहीं उत्पन्न हो रही है।
- (18) यह कि अपार्टमेण्ट का नाम "एस.जे.आर.एस. अपार्टमेण्ट" होगा।
- (19) यह कि प्रथम पक्ष इकरारनामा में वर्णित तरीके के अतिरिक्त जायदाद मजकूर का विक्रय अथवा विक्रय हेतु अनबन्ध नहीं करेगा।
- (20) यह कि बेसमेन्ट व भूतल पर पार्किंग प्रस्तावित है। प्रथम पक्ष बेसमेन्ट व भूतल पर सम्पूर्ण पार्किंग एरिया का 40 प्लैट के पार्किंग के उपयोग के लिए प्राप्त करेगा और उसी प्रकार द्वितीय पक्ष सम्पूर्ण पार्किंग स्थल अपने अंश के अनुसार प्राप्त करेगा। पार्किंग स्थल का चिहांकन मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् व निर्माण होने के पश्चात् किया जायेगा।

व. ज. व. दा. सिंह



उ. ज. सिंह



जयप्रकाश सिंह



म. ज. कु. म. दा. सिंह



संजय सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Sanjay Singh
DIRECTOR



(21) यह कि द्वितीय पक्ष के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के द्वारा श्री दिनेश सेवारमानी पुत्र केशव दास सेवारमानी निवासी डी. 54/158 के-1, सन्त नगर, लक्सा, वाराणसी को कम्पनी की तरफ से यह डेवलपर्स एग्रीमेण्ट अपने हस्ताक्षर से निष्पादित व पंजीकृत कराने हेतु अधिकृत किया गया है एवं जहाँ-जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ पर उक्त दिनेश सेवारमानी कम्पनी की तरफ से अपने हस्ताक्षर से कार्य करेंगे।

अतः उभय पक्ष यह डेवलपर एग्रीमेण्ट तहरीर कर निबन्धित करा दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

जायदाद हस्ब तफसील जैल/ अनुसूची-प्रथम

आराजी नं. 1571, रकबा-4142.67 वर्गमीटर स्थित मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से दिखाया गया है।

हस्ब चौहद्दी जैल:-

पूरब : पक्की सड़क गंगापुर से जी.टी. रोड (तहसील रोड)
पश्चिम : जमीन जितेन्द्र सिंह आदि
उत्तर : खेत सुरेश सिंह, तेज बहादुर व जयप्रकाश, संजय वगैरह
दक्षिण : सरकारी नाली।

तेज बहादुर सिंह



उज्जय सिंह



जयप्रकाश सिंह



अजय कुमार सिंह



संजय सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Deep Sharan Singh
DIRECTOR



अनुसूची-द्वितीय

भूमि मालिकान को प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण अंश जिसमें से 20 फ्लैट तेज बहादुर

पुत्र स्व. कतवारू सिंह व

20 फ्लैट श्रीमती उषा देवी पत्नी स्व. श्याम बहादुर व अजय व संजय व

जयप्रकाश पुत्रगण स्व. श्याम बहादुर,

भूमि मालिकान को प्राप्त होने वाला अंश

ब्लाक-‘ए’

क्रमांक	फ्लैट नम्बर	तल
1.	102	प्रथम
2.	108	प्रथम
3.	202	द्वितीय
4.	208	द्वितीय
5.	302	तृतीय
6.	308	तृतीय
7.	402	चतुर्थ
8.	408	चतुर्थ
9.	502	पंचम

तेज बहादुर सिंह

उषा सिंह

जयप्रकाश सिंह

अजय कुमार सिंह संजय सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Devy Sharma
DIRECTOR

10.	503	पंचम
11.	507	पंचम
12.	508	पंचम
13.	602	षष्ठम
14.	603	षष्ठम
15.	607	षष्ठम
16.	608	षष्ठम
17.	702	सप्तम
18.	708	सप्तम
19.	802	अष्टम
20.	808	अष्टम

वैजयंत्यु सिंघ

अजय कुमार सिंघ

उषा सिंघ

संजय सिंघ

जय प्रकाश सिंघ

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Dem. Narainy
DIRECTOR

ब्लॉक- 'बी'

क्रमांक	प्लैट नम्बर	तल
1.	102	प्रथम
2.	108	प्रथम
3.	202	द्वितीय
4.	208	द्वितीय
5.	302	तृतीय
6.	308	तृतीय
7.	402	चतुर्थ
8.	408	चतुर्थ
9.	502	पंचम
10.	503	पंचम
11.	507	पंचम
12.	508	पंचम
13.	602	षष्ठम
14.	603	षष्ठम
15.	607	षष्ठम
16.	608	षष्ठम
17.	702	सप्तम
18.	708	सप्तम
19.	802	अष्टम
20.	808	अष्टम

आराजी नं. 1571, सम्पूर्ण रकबा-46675.20 वर्गफीट में से 2100 वर्गफीट जमीन बजानिब उत्तर-पूरब प्रथम पक्ष द्वारा छोड़कर शेष रकबा-44575.20 वर्गफीट यानी 4142.67 वर्गमीटर स्थित मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी पर बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जाना तय व पोखता हुआ है।

रजत कुमार सिंह

उषा सिंह

जय प्रकाश सिंह

अजय कुमार सिंह

संजय सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Omj Sharma

DIRECTOR

नोट : प्रश्नगत भूमि नगर निगम व आवास विकास सीमा से बाहर तथा चिह्नित मार्ग गंगापुर से जी.टी. रोड (तहसील रोड) पर स्थित है। कोई निर्माण नहीं है। कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। स्टैम्प के उद्देश्य से जायदाद मजकूर की मालियत $4142.67 \times 12,000/- = \text{मु. } 4,97,12,118/-$ यानी $4,97,13,000/-$ रुपये पर नियमानुसार 5 प्रतिशत की दर से स्टैम्प मु. $24,87,000/-$ रुपये का जरिये ई-स्टाम्प प्रमाण-पत्र संख्या- $INUP694412769912$ दिनांक 18.09.2021 ई. दिया गया है।
637

तहरीर तारीख : 18.09.2021 ई.

गवाहान :

1. अमित कुमार सिंह
पुत्र जगदीश सिंह
ग्राम-वीरभानपुर, तहसील राजातालाब,
जिला-वाराणसी
मोबाइल नं. 9450387557



अमित कुमार सिंह

जय प्रकाश सिंह

जय प्रकाश सिंह

अमित कुमार सिंह

संजय सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD.
Shrey Sharanan
DIRECTOR

2. राजेश प्रसाद सिंह राजेश सिंह
पुत्र तेज बहादुर सिंह
ग्राम-वीरभानपुर, तहसील राजातालाब,
जिला-वाराणसी
मोबाइल नं. 9935541600



मसविदाकर्ता: पंकज कुमार सिंह, एडवोकेट
दीवानी कचहरी, वाराणसी

कम्प्यूटर कम्पोजिंग : एफिशिएण्ट प्रिण्टर्स
दीवानी न्यायालय परिसर, वाराणसी

तेज बहादुर सिंह



अजय कुमार शर्मा



उषा सिंह



राजेश सिंह



जयप्रकाश सिंह



SJRS INFRACITY PVT. LTD.

Dr. Sharanam


DIRECTOR



स्थलीय मानचित्र


आराजी नं. 1571, सम्पूर्ण रकबा-46675.20 वर्गफीट में से 2100 वर्गफीट बजानिव उत्तर-पूरब छोड़कर शेष रकबा-44575.20 वर्गफीट यानी 4142.67 वर्गमीटर स्थित मौजा-विरभानपुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजातालाब, जिला-वाराणसी, जिसे संलग्न मानचित्र में लाल तिरछी लकीरों से दिखाया गया है।

सम्पूर्ण क्षेत्रफल 41.42.67 वर्गमीटर



खेत सुरेश सिंह वगैरह

जमीन जितेन्द्र सिंह आदि



पक्की सड़क गंगापुर से जी.टी. रोड
(तहसील रोड)

सरकारी नाली

Handwritten signature: राजेश कुमार

Handwritten signature: सुधा सिंह

Handwritten signatures: जयप्रकाश सिंह, अजय कुमार सिंह, संजय सिंह

SJRS INFRACITY PVT. LTD

DIRECTOR